संख्या– 448/नौ–7–2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

(1)समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उ0प्र0।

(2) समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक :07अप्रैल, 2020

विषयः नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के दृष्टिगत लाकडाउन के दौरान बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के लाभार्थियों को डोर–टू–डोर टेक होम राशन वितरण कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1169/58–1–20–2/13(19)05टीसी–1 दिनांक 06.04.2020(छायाप्रति संलग्न) की कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के लाभार्थियों की इम्युनिटी बनाये रखने की दृष्टि से सोशल डिस्टेंन्सिंग का पालन कर लाकडाउन के दौरान पोषाहार वितरण में पर्याप्त पारदर्शिता रखते हुये दिनांक 10, 13 व 16 अप्रैल 2020 को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा लाभार्थियों को घर–घर जाकर पोषाहार वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने निकाय के समस्त पार्षद/सभासद को पोषाहार वितरण की उक्त सूचना whatsapp ग्रुप अथवा अन्य माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि उनके द्वारा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के लाभार्थियों को पोषाहार उपलब्ध कराये जाने की सूचना ससमय प्रदान की जा सके।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त, जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 06.04.2020 के क्रम में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

449/9-7-20

अत्यावश्यक/महत्वपूर्ण

संख्या-1169/58-1-20-2/13(19)05टीसी-।

प्रेषक,

वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

बाल विकास एवं पुष्टाहार, अनुभाग — लखनऊ : दिनांक : 06 अप्रैल, 2020

विषय : नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के दृष्टिगत लाकडाउन के दौरान बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के लाभार्थियों को डोर-टू-डोर टेक होम राशन वितरण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण का प्रसार रोकने के दृष्टिगत सम्पूर्ण देश में लाकडाउन लागू है, जिसके कारण प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के लाभार्थियों की इम्युनिटी बनाये रखने की दृष्टि से सोशल डिस्टेंन्सिंग का पालन कर लाकडाउन के दौरान पोषाहार वितरण में पर्याप्त पारदर्शिता रखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा विभाग के लाभार्थियों को घर-घर जाकर पोषाहार वितरण सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इसी क्रम में आंगनबाड़ी केन्द्रवार पोषाहार वितरण हेतु दिनांक 10, 13 व 16 अप्रैल, 2020 की तिथि निर्धारित की गयी है। इस सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.04.2020 को आंगनबाड़ी केन्द्रवार रोस्टर जारी किया जाएगा। यह आवश्यक है कि पोषाहार वितरण के दिनांक की सूचना पार्षद/सभासद को हो, जिससे लाभार्थियों को पोषाहार वितरण की जानकारी प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सम्बन्धित नगर आयुक्त, नगर निगम एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करायें, जिससे नगर आयुक्त, नगर निगम एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा WhatsApp ग्रुप अथवा अन्य माध्यम से उक्त सूचना पार्षद/सभासद को उपलब्ध करायी जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से भी समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे पोषाहार वितरण की सूचना ससमय पार्षद/सभासद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,
6/4/20
(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1169(1)/58-1-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से कि कृपया समन्वय कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :-

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव।